जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः- 31.10.2020

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध छुरा व चोरी का माल बरामद ।

आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर बिडौली बस स्टैण्ड से 03 शातिर चोरों को 03 अवैध छुरा व चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 29.10.2020 को गाड़ी वाला चौराहा पर स्थित कबाड़े के गोदाम से 01 बिजली स्टार्टर, 06 किग्रा तांबा, 20 किग्रा लोहे का सामान, 01 बिजली की मोटर (2HP) की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था । जिसके सम्बन्ध में गोदाम संचालक श्री जीशान पुत्र एहसान निवासी मौहल्ला शाहमुबारिक थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की । दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गई थी । गठित टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही कर महत्वपूर्ण सुराग एवं जानकारी जुटाई गई ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- बुटेर उर्फ मुर्सलीन पुत्र फुरकान उर्फ बिल्लू निवासी मौहल्ला पीरजादगान थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2- तहसीम पुत्र मूदा निवासी मौहल्ला शाहमुबारिक थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3- तसलीम पुत्र कमरूद्दीन निवासी मौहल्ला पीरकोन थाना झिंझाना जनपद शामली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तहसीम उपरोक्त-

1- मु0अ0सं0 524/19 धारा 8/18 NDPS ACT थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2- मु0अ0सं0 136/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1- 03 अवैध छुरा ।

2- 06 किग्रा तांबा, 20 किग्रा लोहे का सामान, 01 बिजली की मोटर (2HP), 01 बिजली स्टार्टर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 530/2020 धारा 380 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2- का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3- का0 देवेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।
4- का0 सुधीर कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस की सख्त पैरवी के चलते गैंगस्टर को 4 वर्ष 10 माह की सजा व अर्थदण्ड।

अवगत कराना है कि थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी, लूट की घटनाओं में लिप्त पाये गये अभियुक्त **कल्लू पुत्र गोपी निवासी ग्राम भभीषा थाना कांधला जनपद शामली** के विरूद्ध वर्ष 2015 में गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना कांधला पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर कोर्ट में पैरवी कर गैंगस्टर के मुकदमें में सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त को 04 वर्ष 10 माह कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।